पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–29/2013 (पार्ट–I) 156 /न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/
निबंधित डाक एवं
ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक– 26/3/18

विषयः– पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 10 पार्कों में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्य, उनके रख–रखाव एवं प्रबंधन के लिए ₹596.56425 लाख (पाँच करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार चार सौ पचीस रु०) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹320.10 लाख (तीन करोड़ बीस लाख दस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०– 2316, दिनांक– 06.08.2015 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पटना शहर के सभी पार्कों को हस्तांतरित कर समेकित रूप से उसके निर्माण, उन्नयन, रख–रखाव एवं प्रबंधन का कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग, के द्वारा किया जाएगा तथा इस कार्य के संपादन हेतु पार्क विकास एवं अनुरक्षण सोसाईटी का गठन किया जाएगा। प्रारम्भ में इन कार्यों का सम्पादन वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा किया जाएगा तथा सोसाईटी गठन के पश्चात् इस कार्य का सम्पादन उक्त सोसाईटी के द्वारा किया जाएगा। इस क्रम में तत्काल नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्मित पटना के 06 बड़े पार्क तथा 64 छोटे पार्क अर्थात् कुल 70 पार्कों का निर्माण, उन्नयन, रख–रखाव एवं प्रबंधन कार्य से संबंधित योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक चार वर्षों के लिए अनावर्ती व्यय के रूप में निम्नवत राशि प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है :–

कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)				कुल
	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	
1	2	3	4	5	6
अनावर्ती व्यय	1044.275	1335.225	615.00	246.00	3240.50

2. पर्यावरण एवं वन विभाग के उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत्यादेश के आलोक में संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग के पत्रांक– 906, दिनांक– 19.03.2018 द्वारा 10 पार्कों में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्यों के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए योजना की स्वीकृति एवं राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया। उक्त 10 योजनाओं का अलग–अलग प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹611.88759 लाख (छः करोड़ ग्यारह लाख अठासी हजार सात सौ उनसठ रु०) मात्र है। उक्त योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन की राशि में से प्रावधानित 1 प्रतिशत Consultancy

Charges एवं 1 प्रतिशत Supervision Charges की राशि घटाते हुए ₹596.56425 लाख (पाँच करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार चार सौ पचीस रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

3. उपरोक्त वर्णित स्थिति में पटना शहर के निम्नांकित 10 पार्कों में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्यो तथा उनके रख–रखाव एवं प्रबंधन हेतु निम्न तालिका के स्तंभ– 6 के अनुरूप ₹596.56425 लाख (पाँच करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार चार सौ पचीस रु०) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु विभागीय राज्यादेश सं०–155, दिनांक–26/3/18 के आलोक में स्तंभ– 7 के अनुरूप ₹320.10 लाख (तीन करोड़ बीस लाख दस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	पार्क का नाम	रकबा (वर्ग मी० में)	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना नगर निगम	पाटलिपुत्रा पार्क, क्वाटर नं०–201 एवं 224 ए के सामने	5658.60	87.48645	86.05982	43.02991	43.02991
2		राम सुन्दर दास पार्क, कंकड़बाग	3761.00	47.10801	46.58429	23.29215	23.29214
3		प्रोफेसर कॉलोनी पार्क, कंकड़बाग	6164.00	83.27280	82.00024	41.00012	41.00012
4		के० सेक्टर (पूर्वी भाग) पार्क, कंकड़बाग	3684.00	40.70424	40.15265	20.07633	20.07632
5		चन्द्रशेखर पाक, गाँधीनगर, कंकड़बाग	15456.00	102.63274	100.56292	50.28146	50.28146
6		भवर पोखर पार्क, वार्ड नं०–39	8104.00	67.81651	66.97712	33.48856	33.48856
7		बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी एच०आई०जी० पार्क (ब्लॉक 1,2,3,4)	3360.00	36.39759	35.89579	35.89579	0.00000
8		पार्क संख्या– 31 ए सेक्टर कंकड़बाग	3360.00	57.72386	54.31047	27.15524	27.15523
9		रामाश्रय सिंह पार्क, कंकड़बाग	2540.00	48.69420	44.50247	22.25124	22.25123
10		रेन्टल फ्लैट पार्क, कंकड़बाग	2802.00	40.05119	39.51848	23.62920	15.88928
		कुल योग		**611.88759**	**596.56425**	**320.10000**	**276.46425**

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹320.10 लाख (तीन करोड़ बीस लाख दस हजार रु०) मात्र।

4. उक्त आवंटित राशि ₹320.10 लाख (तीन करोड़ बीस लाख दस हजार रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना** होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। **तदुपरांत योजना के**

कार्यान्वयन हेतु राशि का हस्तांतरण पर्यावरण एवं वन विभाग अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी को किया जाएगा।

5. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।** राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. आवंटित कुल राशि ₹320.10 लाख (तीन करोड़ बीस लाख दस हजार रु०) मात्र की निकासी स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या– 48 के मुख्य शीर्ष 2217– शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–01–राज्य के राजधानी का विकास–लघु शीर्ष 053–रख–रखाव तथा मरम्मत–उप शीर्ष 0001–बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क **विपत्र कोड– 48-2217010530001,** विषय शीर्ष 0001.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत से की जाएगी।

7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना, नगर निगम, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा कराया जाएगा।

(ii) उक्त योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का नाम, मद, उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iii) स्वीकृत राशि से अधिक की योजना किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जायेगी।

(iv) राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि उक्त योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(v) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निदेशन समय–समय पर किया जाएगा।

(vi) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(vii) विभागीय पत्रांक– 2554, दिनांक– 07.04.2017 के अनुरूप उक्त 10 पार्को के बोर्ड पर पटना नगर निगम तथा नगर विकास एवं आवास विभाग का नाम भी अंकित कराया जाएगा।

9. योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/ना०सु०–03–29/2013 (पार्ट–I) 156 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक– 26/3/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार/संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई0मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

आनन्द

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–29/2013 (पार्ट–I) 155 /न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/ निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 26/3/18

विषयः– **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 10 पार्कों में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्य, उनके रख–रखाव एवं प्रबंधन के लिए ₹596.56425 लाख (पाँच करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार चार सौ पचीस रु०) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹320.10 लाख (तीन करोड़ बीस लाख दस हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

पर्यावरण एवं वन विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०– 2316, दिनांक– 06.08.2015 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पटना शहर के सभी पार्कों को हस्तांतरित कर समेकित रूप से उसके निर्माण, उन्नयन, रख–रखाव एवं प्रबंधन का कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग, के द्वारा किया जाएगा तथा इस कार्य के संपादन हेतु पार्क विकास एवं अनुरक्षण सोसाईटी का गठन किया जाएगा। प्रारम्भ में इन कार्यों का सम्पादन वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना द्वारा किया जाएगा तथा सोसाईटी गठन के पश्चात् इस कार्य का सम्पादन उक्त सोसाईटी के द्वारा किया जाएगा। इस क्रम में तत्काल नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्मित पटना के 06 बड़े पार्क तथा 64 छोटे पार्क अर्थात् कुल 70 पार्कों का निर्माण, उन्नयन, रख–रखाव एवं प्रबंधन कार्य से संबंधित योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक चार वर्षों के लिए अनावर्ती व्यय के रूप में निम्नवत राशि प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है :–

कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)				कुल
	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	
1	2	3	4	5	6
अनावर्ती व्यय	1044.275	1335.225	615.00	246.00	3240.50

2. पर्यावरण एवं वन विभाग के उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत्यादेश के आलोक में संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग के पत्रांक– 906, दिनांक– 19.03.2018 द्वारा 10 पार्कों में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्यों के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए योजना की स्वीकृति एवं राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया। उक्त 10 योजनाओं का अलग–अलग प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹611.88759 लाख (छः करोड़ ग्यारह लाख अठासी हजार सात सौ उनसठ

रु०) मात्र है। उक्त योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन की राशि में से प्रावधानित 1 प्रतिशत Consultancy Charges एवं 1 प्रतिशत Supervision Charges की राशि घटाते हुए ₹596.56425 लाख (पाँच करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार चार सौ पचीस रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

3. उपरोक्त वर्णित स्थिति में पटना शहर के निम्नांकित 10 पार्कों में मूलभूत सुविधाओं/अन्य विकास कार्यों तथा उनके रख–रखाव एवं प्रबंधन हेतु निम्न तालिका के स्तंभ– 6 के अनुरूप ₹596.56425 लाख (पाँच करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार चार सौ पचीस रु०) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु स्तंभ– 7 के अनुरूप ₹320.10 लाख (तीन करोड़ बीस लाख दस हजार रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	पार्क का नाम	रकबा (वर्ग मी० में)	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना नगर निगम	पाटलिपुत्रा पार्क, क्वाटर नं०– 201 एवं 224 ए के सामने	5658.60	87.48645	86.05982	43.02991	43.02991
2		राम सुन्दर दास पार्क, कंकड़बाग	3761.00	47.10801	46.58429	23.29215	23.29214
3		प्रोफेसर कॉलोनी पार्क, कंकड़बाग	6164.00	83.27280	82.00024	41.00012	41.00012
4		के० सेक्टर (पूर्वी भाग) पार्क, कंकड़बाग	3684.00	40.70424	40.15265	20.07633	20.07632
5		चन्द्रशेखर पाक, गाँधीनगर, कंकड़बाग	15456.00	102.63274	100.56292	50.28146	50.28146
6		भवर पोखर पार्क, वार्ड नं०– 39	8104.00	67.81651	66.97712	33.48856	33.48856
7		बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी एच०आई०जी० पार्क (ब्लॉक 1,2,3,4)	3360.00	36.39759	35.89579	35.89579	0.00000
8		पार्क संख्या– 31 ए सेक्टर कंकड़बाग	3360.00	57.72386	54.31047	27.15524	27.15523
9		रामाश्रय सिंह पार्क, कंकड़बाग	2540.00	48.69420	44.50247	22.25124	22.25123
10		रेन्टल फ्लैट पार्क, कंकड़बाग	2802.00	40.05119	39.51848	23.62920	15.88928
			कुल योग	**611.88759**	**596.56425**	**320.10000**	**276.46425**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹320.10 लाख (तीन करोड़ बीस लाख दस हजार रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹320.10 लाख (तीन करोड़ बीस लाख दस हजार रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना** होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी

वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। **तदुपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि का हस्तांतरण पर्यावरण एवं वन विभाग अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी को किया जाएगा।**

5. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।** राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. स्वीकृत कुल राशि ₹320.10 लाख (तीन करोड़ बीस लाख दस हजार रु०) मात्र की निकासी स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या– 48 के मुख्य शीर्ष 2217– शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–01–राज्य के राजधानी का विकास–लघु शीर्ष 053–रख–रखाव तथा मरम्मत–उप शीर्ष 0001–बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क **विपत्र कोड– 48-2217010530001,** विषय शीर्ष 0001.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत से की जाएगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना, नगर निगम, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा कराया जाएगा।

(ii) उक्त योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का नाम, मद, उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iii) स्वीकृत राशि से अधिक की योजना किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जायेगी।

(iv) राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि उक्त योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(v) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निदेशन समय–समय पर किया जाएगा।

(vi) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(vii) विभागीय पत्रांक– 2554, दिनांक– 07.04.2017 के अनुरूप उक्त 10 पार्कों के बोर्ड पर पटना नगर निगम तथा नगर विकास एवं आवास विभाग का नाम भी अंकित कराया जाएगा।

9. योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/ना०सु०–03–29/2013 (पार्ट–I) के पृष्ठ सं०–34 /टि० पर दिनांक–24.03.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–35 /टि० पर दिनांक–24.03.2018 को प्राप्त है।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/ना०सु०–03–29/2013 (पार्ट–I) 155 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक–26/3/18

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार/संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई0मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

आन्त.